न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 44/2019/अपील/एलआरएक्ट/बून्दी
दायरा दिनांकः 21.05.2019
अन्तर्गत धाराः 75 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. सोकरण आ0 रामनाथ जाति गुर्जर निवासी बडगांव, तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी

...अपीलांट

बनाम

1. रामप्रकाश आ0 गोपीलाल जाति गुर्जर निवासी बड़गांव तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, हिण्डोली, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलांट
श्री ललित शर्मा अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो0 क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 11.07.2024

अपीलांट्स ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 120/2014 बउनवान रामप्रकाश गुर्जर बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 15.06.2015 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी व धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के द्वारा प्रकरण सं0 120/2014 बउनवान रामप्रकाश गुर्जर बनाम राज0 सरकार में अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट व 88, 89 आरटी एक्ट में प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुसार ग्राम बड़गांव की खसरा संख्या 1128/1455 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार रामप्रसाद आ0 रामनाथ के राजस्व रिकोर्ड में अंकन के इन्द्राज को दुरूस्त कर रामप्रकाश आ0 गोपीलाल गुर्जर दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 15.06.2015 निर्णय पारित कर उक्तानुसार तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर करने के आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी के साथ अपील पेश करने की इजाजत देते हुए अपील धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी आधार के रेस्पो0 क्र0 1 का प्रार्थना–पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली को विधिवत रूप से दिनांक 16.12.78 को सम्पूर्ण जांच पड़ताल के बाद आवंटित की गयी थी एवं आवंटन पत्र भी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर ने ही प्रस्तुत किया था तथा रामप्रसाद पुत्र रामनाथ ही विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है एवं खातेदार है। आवंटी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर ला औलाद फोत हो चुका है जो अपीलांट का सगा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर अपीलांट क़ाबिज चला आ रहा है। इन तथ्यों की जानकारी होते हुये भी रेस्पो0 क्र.1 ने प्रार्थना–पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया, जबकि हिन्दू

उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट मृतक आवंटी एवं खातेदार रामप्रसाद का उत्तराधिकारी है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत केवल वहीं त्रुटियां ठीक की जा सकती है जो पहले राजस्व रिकोर्ड में अंकित हो एवं बाद के राजस्व रिकोर्ड में सक्षम अधिकारी के आदेश के परिवर्तन कर दिया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी व्यक्ति का नाम व पिता का नाम बिना आधार के राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से परे एवं अवैधानिक है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय दिनांक 15.06.2015 को निरस्त करने का अनुरोध किया।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ग्राम बडगांव की खसरा संख्या 1128/1455 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार रामप्रसाद आ0 रामनाथ के राजस्व रिकोर्ड में अंकन के इन्द्राज को दुरूस्त कर रामप्रकाश आ0 गोपीलाल गुर्जर दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 15.06.2015 द्वारा पारित निर्णय बिना किसी आधार के रेस्पो0 क्र0 1 के प्रार्थना–पत्र 136 एलआरएक्ट को स्वीकार करने में त्रुटि की है। विवादित आराजी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर निवासी बडगांव तहसील हिण्डोली को विधिवत रूप से दिनांक 16.12.78 को सम्पूर्ण जांच पड़ताल के बाद आवंटित की गयी थी एवं आवंटन पत्र भी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर ने ही प्रस्तुत किया था तथा रामप्रसाद पुत्र रामनाथ ही विवादित आराजी पर काबिज चला आ रहा है एवं खातेदार है। आवंटी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर ला औलाद फोत हो चुका है जो अपीलांट का सगा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज चला आ रहा है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट मृतक आवंटी एवं खातेदार रामप्रसाद का उत्तराधिकारी है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत केवल वहीं त्रुटियां ठीक की जा सकती है जो पहले राजस्व रिकोर्ड में अंकित हो। अधीनस्थ न्यायालय को किसी भी व्यक्ति का नाम व पिता का नाम बिना आधार के राजस्व रिकोर्ड में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील प्रस्तुत करने की इजाजत देने के साथ अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डौन करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय 15.06.2015 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक उद्धरण RRT 2017 (2) page 1264 पेश किया।

4 अभिभाषक रेस्पो0 ने अपने पक्ष के समर्थन में लिखित बहस पेश की तथा वर्णित किया कि रेस्पो0 द्वारा अपने पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपना नाम व पिता का नाम दुरूस्ती का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसका निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण साक्ष्य व दस्तावेज के आधार पर किया गया है। अपीलांट द्वारा तथाकथित दस्तावेज तैयार किये व करवाये गये थे जिसके विरूद्ध रेस्पो0 द्वारा पुलिस थाना दबलाना में मुकदमा संख्या 268/2015 दर्ज करवाया हुआ है। जिसमें सोकरण आ0 रामनाथ उरजा पुत्र नारायण, राकिशन पुत्र हरदेव गुर्जर बडगांव थाना दबलाना तहसील हिण्डोली अभियुक्त है, जो प्रकरण लंबित है। अपीलांट द्वारा दिनांक 15.06.2015 निर्णय के रिव्यू प्रार्थना–पत्र पेश किया गया था जो दिनांक 24.05.2017 को खारिज किया जा चुका है। जब अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू पेश किया जा चुका है तथा उसका निस्तारण हो चुका है, तो मूल आदेश जरेअपील के विरूद्ध अपील पेश नहीं की जा सकी है। आदेश जेरअपील रिव्यू आदेश में मर्ज हो चुका है। इस आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेंटेनेबल नहीं है एवं खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट खारिज किये जाने का अनुरोध किया।

5 अपील पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत अपील प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ शपथ पत्र पेश कर अपील को अवधि मध्य मानी जाकर गुणावगुण के आधार पर निर्णत करने का अनुरोध किया। रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों का खण्डन नही किया गया ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया गया। लिहाजा इस स्टेज पर अपील अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं।

6 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एंव रेस्पो0 पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख एंव आलौच्य जेरअपील निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली के द्वारा प्रकरण सं0 120/2014 बउनवान रामप्रकाश गुर्जर बनाम राज0 सरकार में अर्न्तगत धारा 136 एल आर एक्ट व 88, 89 आरटी एक्ट में प्रार्थना–पत्र में वर्णित अनुसार ग्राम बड़गांव की खसरा संख्या 1128/1455 कुल रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा के खातेदार रामप्रसाद आ0 रामनाथ के राजस्व रिकोर्ड में अंकन के इन्द्राज को दुरूस्त कर रामप्रकाश आ0 गोपीलाल गुर्जर दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 15.06.2015 निर्णय पारित कर उक्तानुसार तहसीलदार हिण्डोली को तहरीर करने के आदेश पारित किया गया। अपीलांट का मुख्य तर्क है कि आवंटी रामप्रसाद आ0 रामनाथ गुर्जर ला औलाद फोत हो चुका है जो अपीलांट का सगा भाई था। उसकी मृत्यु के बाद उक्त आराजी पर अपीलांट काबिज चला आ रहा है एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत अपीलांट मृतक आवंटी एवं खातेदार रामप्रसाद का उत्तराधिकारी है। धारा 136 एल आर एक्ट के तहत केवल वहीं त्रुटियां ठीक की जा सकती है, जो पहले राजस्व रिकोर्ड में अंकित हो। प्रकरण में मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी, पटवार मण्डल बड़गांव, तहसील हिण्डोली अनुसार नामान्तरकरण संख्या 1182 दिनांक 15.06.2011 से आराजी खसरा सं0 1128/1455 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा भूमि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 में रामप्रसाद वल्द रामनाथ कौम गुर्जर के नाम से खातेदार दर्ज है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकोर्ड/दस्तावेजात, कब्जे की रिपोर्ट, मजमेआम की रिपोर्ट, फोटो पहचान–पत्र, आधार कार्ड एवं राशनकार्ड आदि का अवलोकन किया जाकर गहनतापूर्वक अध्ययन कर रामप्रसाद आ0 रामनाथ के स्थान पर रामप्रकाश आ0 गोपीलाल किया गया है, जिसमें अपीलांट सोकरण का उक्त भूमि पर प्रभावित पक्षकार नहीं होने से हित निहित नहीं होना प्रतीत होता हैं। साथ ही अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसे कोई साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, जिससे अपीलांट के कथन की पुष्टि होती हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में तथ्यों का समुचित परीक्षण कर उपलब्ध रिकोर्ड, दस्तावेजों के आधार पर जेरअपील निर्णय दिनांक 15.06.2015 पारित किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

7 निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(बृजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा